सं. एवी.13024/927/2015-एएस

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

दिनांक, 9 फरवरी, 2018

नोटिस

यह वेबसाइट पर पूर्व में दिनांक 05.02.2018 को अपलोड किए गए नोटिस के अधिक्रमण में है।

2. ड्रोनों के प्रचालन ने विमान प्रचालनों के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षा संबंधी समस्याओं को उत्पन्न किया है। तद्नुसार, देश में हवाईअड्डोंके आसपास ड्रोनों के प्रचालन को नियमित करनेके लिए मसौदा सीएआर विकसित किया गया है और इस मंत्रालय/डीजीसीए द्वारा भी हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई हैं।

3. यह मंत्रालय, नागर विमानन में ड्रोनों/यूएवी की निगरानी, संसूचन तथा/या उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए ड्रोन प्रतिरोधी तकनीकों हेतु मूल्यांकन और सृजन की प्रक्रिया में हैं। इस मंत्रालय द्वारा इससे संबंधित मुद्दों पर बैठकों की श्रृंखलाएं आयोजित की गई हैं, जिसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों और संबंधित सरकार संगठनों के अधिकारियों तथा ड्रोन /एंटी-ड्रोन से संबंधित विभिन्न एजेंसियों/कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है।

4. इस मंत्रालय में यह निर्णय लिया गया है कि काउंटर ड्रोन तकनीकों/समाधानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों तथा पहलुओं को समझने के लिए काउंटर ड्रोन प्रणालियोंसे संबंधित विभिन्न एजेंसियोंका इस मंत्रालय को लाइव डेमोस्ट्रेशन किया जाएगा।

5. जिन एजेसियों ने आरंभिक स्तर पर व्यक्तिगत आधार पर अपनी स्वेच्छा प्रकट की थी, उन्हें 13 फरवरी 2018 को लाइव डैमों करने को कहा गया था। एक अन्य लाइवे डैमोंमार्च 2018 माह में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। लाइव डैमो रोहिणी हैलीपोर्ट,सेक्टर 36, रोहिणी, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

6. इस विषय पर कुछ एजेंसियोंके साथ दिनांक 09.01.2018 को आयोजित तैयारी बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न (अनुबंध-I) है। इसमें उल्लिखित निर्णय और अपेक्षाएं केवल बैठक के भागीदारों तक ही सीमित नहीं हैं किन्तु, यह सामान्य रूप से अन्य एजेंसियों पर भी लागू होती हैं।

7. मार्च 2018 में आयोजन के लिए प्रस्तावित डैमो में भाग लेने के इच्छुक नीचे पैरा 11 में उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार अपने स्वेच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं।एजेसियों/कंपनियों को डैमों के सुगम संचालन के लिए अपेक्षित लॉजेस्टिक्स और तकनीकी अपेक्षाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।

एजेंसियां/कंपनियां अनुबंध-। मेंसंलग्न लाइन टैम्पलेट में सभी संगत सूचना उपलब्ध कराएंगी और और अपने पत्र शीर्ष में अपनी स्वेच्छा सहित इसे भेजेगी। टैम्पलेट में डैमोदल सदस्यों (विदेशी नागरिकों) पासपोर्ट संख्या आदि सहित सभी अपेक्षित ब्यौरा विधिवत रूप से भरा जाना चाहिए और इसे पहचानपत्र की प्रतियों तथा अन्य अभिलेखों (जैसे पासपोर्ट)की प्रतियों के साथ भेजा जाना चाहिए। विभिन्न कारकों जैसे लॉजेस्टिक्स, भागीदारी के स्तर आदि पर विचार करने के पश्चात भविष्य में वास्तविक तिथियों का निर्धारण किया जाएगा। मात्र आवेदन प्रस्तुत किए जाने से ही डैमो आयोजित करने के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। सरकार अपने स्वयं के विशेषाधिकार में डैमोस्ट्रेशन के रद्द करने विशेषाधिकार रखती है।

8. इस मंत्रालय द्वारा बिना लागत तथा बिना प्रतिबद्धता के आधार पर लाइव डैमोंस्ट्रेशन आयोजित किया जा रहा है। सम्पूर्ण जोखिम और इसकी इस लागत को संबंधित एजेंसी/कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा और उनका भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी एजेंसी/पीएचएल/एएआई/डीजीसीए/ बीसीएएस पर किसी प्रकार का दावा नहीं होगा। लाइव डैमों के परिणामस्वरूप संविदा/कार्य आदेश/लाइसेंस/अनुमति/अनुमोदन/प्रमाणपत्र, जो कोई भी हो, के रूप में किसी प्रकार का परिणाम या परिणाम की संभावना नहीं होगी।

9. भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा सरकारी एजेंसियों से किसी प्रकार के अपेक्षित क्लियरेंस का ब्यौरा, यदि कोई हो, टैम्पलेट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए। एजेंसियों/कंपनियों को सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपनी स्वयं की लागत पर उपलब्ध कराना होगा, जिनकी आवश्यकता क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए है।

10. उपर्युक्त लाइव डैमों के लिए रोहिणी हेलीपोर्ट में पहुंच प्राप्त करेने के लिए हवाईअड्डा पहुंच प्राप्त करने हेतु प्रत्येक भागीदार द्वारा विधिवत रूप से आवेदन को भरकर इस मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा सकता है। एईपी आवेदन फॉर्म को http://bcasindia.gov.in/लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

11. ऐसे डैमोस्ट्रेशनों के लिए रोहिणी हेलीपोर्ट, नई दिल्ली पर एयर स्पेस/एटीसी विषयों/उपलब्धता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा इस संबंध में अन्य ब्यौरों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से सूचना प्राप्त की जा सकती है:

(i) श्री राजीव अग्नीहोत्री, संयुक्त महाप्रबंधक, पवन हंस लिमिटेड,

सम्पर्क सं. 09828998778, ई-मेल आईडी: rajeev.agnihotri@pawanhans.co.in

(ii) श्री दिलीप कुमार, संयुक्त महाप्रबंधक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

सम्पर्क सं. 07042400747, ई-मेल आईडी ddilipkumar@aai.aero

12. <u>स्वेच्छा, टेंपलेट और अन्य ब्यौरों और अभिलेखों को भेजने के लिए पता</u>:

अवर सचिव, विमानन सूरक्षा प्रभाग, नागर विमानन मंत्रालय, कमरा सं. 179, बी-ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली- 110003.

साफ्ट प्रति को ई-मेल करें: <u>soas.moca@nic.in; dirsn.moca@gov.in</u>

13. स्वेच्छा को प्रस्तुत करने, टैम्पलेट को भरने और अभिलेखों की प्रति आदि प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है:

मार्च 2018 में लाइव डैमों आयोजित करने के इच्छुकों के लिए	23 फरवरी 2018

अनुबंध-।

सं. एवी.13024/927/2015-एएस

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,सफदरजंग हवाईअड्डा,

नई दिल्ली-110003,दिनांक,22.01.2018

सेवा में,

1. गृह मंत्रालय (ध्यानार्थ : श्री दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव)(आईएस-।।), कमरा नं. 09, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, दूसरा तल, नई दिल्ली- 110001.
2. गृह मंत्रालय (ध्यानार्थ : श्री कुमार आलोक, संयुक्त सचिव)(पुलिस-।), कमरा नं. 110, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110003.
3. महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मुख्यालय, 13, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
4. महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003.
5. महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो,जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001.
6. भारतीय वायु सेना(ध्यानार्थ:ग्रुप कैप्टन परमिंदर सिंह, डी ऑप्स एडी (जीई), कमरा नं. 584, भारतीय वायु सेना, वायुसेना मुख्यालय, वायु भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110106.
7. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, एमएसओ भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली, दिल्ली-110095
8. अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली- 110003.
9. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लिमिटेड, सी-14, सेक्टर-1, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201301.
10. महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, मेहराम नगर, पालम, नई दिल्ली- 110037.
11. सचिव रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग एवं डीजी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली-110011.
12. इजराइल दूतावास, रक्षा अनुभाग, 3 डॉ एपीजे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली-110011.
13. आईआईटी कानपुर (ध्यानार्थ : डॉ जी.एम.कामथ, एसोसिएट प्रोफेसर,एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208016

विषय: ड्रोन/यूएवी की निगरानी, संसूचन और न्सूट्रलाइजेशन पर चर्चा।

महोदय,

मुझे प्रस्तावित डैमोस्ट्रेशन के लिए संबंधित अपेक्षाओं तथा प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं पर चर्चा करने व समन्वय पर चर्चा करने के लिए रोहिणी हैलीपोर्ट, नई दिल्ली में दिनांक 09.01.2018 को श्रीमती ऊषा पाढ़ी, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित तैयारी बैठक के कार्यवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

(सतीश चंद्र)
अवर सचिव, भारत सरकार,
दूरभाष:24616025

संलग्नक: यथोपरि।

ड्रोन की निगरानी, पहचान और निराकरण से संबंधित प्रौद्योगिकियों के संबंध में रोहिणी हेलीपोर्ट पर श्रीमती उषा पाढ़ी, संयुक्त सचिव (सीए) की अध्यक्षता में 09 जनवरी, 2018 को आयोजित तैयारी बैठक के कार्यवृत्त

श्रीमती उषा पाढ़ी, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की अध्यक्षता में रोहिणी हेलीपोर्ट पर 09 जनवरी, 2018 को एक तैयारी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए शामिल प्रक्रियागत औपचारिकताओं और समन्वय की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श किया गया।

2. बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों/नागर विमानन मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/संगठनों/एजेंसियों के अधिकारियों की सूची संलग्न है (अनुबंध - 1)।

3. बैठक में, विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। विचार-विमर्श के आधार पर, निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

I. बैठक के आरंभ में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शन के प्रयोजन पर एक प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें उन्होंने उक्त प्रदर्शन के लिए निर्देशांक निर्दिष्ट किए।

II. एक सहभागी ने अनुरोध किया कि पार्श्विक लंबाई पर 500 एनएस तक विचार किया जाए। यह स्पष्ट किया गया कि वे इस बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं तथा पवन हंस लिमिटेड/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसकी व्यवहार्यता का पता लगाएंगे।

III. कार्यपालक निदेशक (एएआई) ने कहा कि प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य अज्ञात यूएवी/ड्रोन की पहचान करना, उनका पता लगाना तथा तब उपलब्ध क्षमताओं के साथ डीजीसीए विनियमों के अनुसार उनका निराकरण करना है।

IV. डीआईजी, सीआईएसएफ ने सुझाव दिया कि पता लगाने और इसके पश्चात गैर-घातक समाधानों के साथ उनका निराकरण करना अधिक व्यवहारिक होगा। तथापि, प्रदर्शन के दौरान, घातक विकल्पों को भी दिखाया जा सकता है।

V. एनएसजी के प्रतिनिधि ने बताया कि पहचान करने के अलावा, प्रतिक्रिया समय अधिक व्यवहारिक है। यह एक मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रतिक्रिया और पहचान करने के समय का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान, एक से अधिक दिशा से किए जाने वाले हमले के लिए समाधान को भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने बल दिया कि प्रौद्योगिकी को पक्षियों और ड्रोनो के बीच अंतर करना चाहिए। प्रौद्योगिकी का एक से अधिक लक्ष्यों तक पहुंच और नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए, दूसरे निशाने के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है।

VI. वायु सेना के प्रतिनिधियों ने कहा कि पहचान करने की दूरी निर्दिष्ट होनी चाहिए। संपूर्ण प्रौद्योगिकी पता लगाने/निराकरण करने की समय अवधि पर निर्भर करती है। सामान्यतया, पहचान करने की प्रौद्योगिकी की रेंज 10 किलोमीटर दूर तक होनी चाहिए। पहचान करना विश्वसनीय और आसान होना चाहिए। पहचान करने के अलावा, मौजूदा हवाईअड्डा प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाली क्षमताएं भी संगत हैं। पहचान की बहु-प्रणाली होनी चाहिए। पहचान करने तथा निराकरण करने के लिए समय-सीमा विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए। वस्तु का पीछा करना भी जरूरी है।

VII. एक प्रतिभागी (एजेंसी) ने पूछा कि वे जामिंग आवृत्ति संकल्पना का उपयोग करके ड्रोन/लक्ष्य को कैसे जाम कर सकते हैं। संयुक्त सचिव (उ) ने स्पष्ट किया कि सहभागी जामिंग आवृत्ति के साथ अपनी आवश्यकताएं दे सकते हैं, एटीसी तथा अन्य लक्ष्यों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाएगा।

VIII. संयुक्त सचिव (उ) ने उल्लेख किया कि नागर विमानन मंत्रालय प्रदर्शनों को ..... 2018 में शामिल करने पर विचार कर रहा है। एक दिन में एकाधिक प्रदर्शन किए जा सकते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि प्रदर्शन के लिए आवश्यकता तथा सैन्य तंत्र की आवश्यकताओं का अनुमान फर्मों/एजेंसियों द्वारा लगाया जा सकता है। इसके पश्चात कंपनियों के विचार मांगे गए। प्रदशर्न के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा मांगा गया समय नीचे तालिका में दिया गया है :

एजेंसी	प्रदर्शन के लिए मांगा गया समय तथा दिए गए सुझाव
एम2के टेक्नोलोजीज़ प्राइवेट लिमिटेड	मार्च का प्रथम सप्ताह। प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि उपकरणों के संस्थापन के लिए 2-3 दिन चाहिए। प्रदर्शन के लिए एक दिन जरूरी होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि उपकरणों के आयात के लिए एक महीने का समय अपेक्षित है।
3एस सेंसर्स एंड सिस्टम टेक्नोलोजीज़	वे 13 फरवरी, 2018 को प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए चार घंटों का समय चाहिए।
आइडियाफोर्ज टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड	फरवरी का अंतिम सप्ताह। प्रदर्शन के लिए 3 घंटों का समय चाहिए।
टीआईपीएल-सेंसबर्ड	मार्च का प्रथम सप्ताह। प्रदर्शन के लिए एक दिन का समय चाहिए।
थेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	मार्च का मध्य। प्रदर्शन के लिए तीन घंटों का समय चाहिए।

राफेल इंडिया	प्रदर्शन 13 फरवरी, 2018 को किया जा सकता है। प्रदर्शन के लिए 5 घंटों का समय चाहिए।
ड्रोन फैन्स	वे 13 फरवरी को प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रदर्शन के लिए उन्हें आधा दिन चाहिए।
जनरल एनर्जी	प्रदर्शन फरवरी के तीसरे सप्ताह में किया जा सकता है। प्रदर्शन के लिए 3-4 घंटों का समय चाहिए।
आईएआई	प्रदर्शन 13 फरवरी, 2018 को किया जा सकता है। प्रदर्शन के लिए एक घंटे का समय चाहिए।

IX. संयुक्त सचिव (उ) ने सूचित किया कि उपकरणों के आयात के लिए, वे सहायता की आवश्यकता होने पर नागर विमाननमंत्रालय को अनुरोध भिजवा सकते हैं।

X. एएआई ने उल्लेख किया कि प्रदर्शन में टीवी टावर, एटीसी आदि जैसी अन्य वस्तुओं पर प्रदर्शन के प्रभाव को स्पष्ट किया जाना चाहिए। घातक संपार्श्विक प्रभाव भी दिया जा सकता है। संयुक्त सचिव (उ) ने सुझाव दिया कि एएआई सूचना प्राप्त करने/एजेंसियों की आवश्यकता के लिए टेम्पलेट बना सकता है।

XI. यह स्पष्ट किया गया कि प्रदर्शन में, आग्नेय शस्त्रों के साथ कठोरतापूर्वक मारने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

XII. उपयोग की जाने वाली टेम्पलेट प्रौद्योगिकी में, आवृत्ति, उपयोग किए जाने वाले ड्रोनकी किस्में, उपकरणों का विवरण, यूएवी का विवरण, प्रदर्शन के लिए योजना को शामिल किया जाए।

XIII. एजेंसियों से इस आशय की घोषणा प्राप्त की जाए कि हेलीपोर्ट और निराकरण की अवसरंचना/सम्पत्ति की किसी प्रकार की हानि हेलीपोर्ट के भीतर होनी चाहिए को निर्दिष्ट करने के लिए इंगित किया जाना चाहिए।

XIV. कंपनी विदेशी प्रतिनिधियों की सहभागिता के विवरण सहित उनके पासपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएगी।

XV. ड्रोन की मदद के साथ किसी प्रकार की फोटोकापी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

XVI. श्री टी.ए. दयासागर नोडल अधिकारी होंगे तथा सभी एजेंसियां अपनी आवश्यकताओं की जानकारी उन्हें देंगी। उनका मोबाइल नंबर 9560385947 है। नागर विमानन मंत्रालय से नोडल अधिकारी श्री सुयश नारायण (फोन नंबर 011-24649891) होंगे और नागर विमानन प्राधिकरण से श्री एस. चड्ढा,ईटी-एटीएम, एएआई (नंबर 9810244204) होंगे।

XVII. सूचना मंगाने के लिए टेम्पलेट की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है (अनुबंध-2), कि कंपनी/फर्म यह जानकारी 15.01.2018 तक उपलब्ध करा दें।

XVIII. प्रस्तावित प्रदर्शन "बिना लागत बिना प्रतिबद्धता" आधार पर होगा तथा कंपनी/फर्म उक्त प्रदर्शन के कारण किसी अन्य एजेंसी/मानव को होने वाली हानि के लिए जिम्मेदार होगी।

सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

परिशिष्ट - I

रोहिणी हेलिपोर्ट पर 09.01.2018 को निगरानी, अभिज्ञान और निराकरण से संबन्धित तकनीकों पर आयोजित होने वाली प्रारंभिक बैठक

बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या

क. अधिकारीगण:

1. नागर विमानन मंत्रालय

2. श्रीमती उषा पाढ़ी, संयुक्त सचिव
3. श्री सुयश नारायण
4. श्री सतीश चंदर, अवर सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

2. गृह मंत्रालय

1. श्री आर चतुर्वेदी, निदेशक, एमएचए
2. श्री इंद्रजीत चावला, 2आईसी (प्रोटोकाल) एमएचए

3. रक्षा मंत्रालय (आईएएफ)

1. विंग कमांडर पी प्रकाश, भारतीय वायु सेना

4. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड

1. मेजर ए अरुण, स्कवाड्रन कैडर, एनएसजी

5. डीआरडीओ

1. यूवीवी कृष्णनौलनी, वैज्ञानिक-'एफ'

नागर विमानन मंत्रालय के अधीनवर्ती कार्यालय

1. श्री एचजीएस धलीवाल, उप निदेशक, बीसीएएस
2. श्री आयुसमणि तिवारी, उप निदेशक, बीसीएएस
3. ए के एस बिलावरिया, डीडी (डीआरजी), बीएसएएस
4. श्री तुलसीरमण, सहायक निदेशक, डीजीसीए
5. श्री प्रवीण कुमार सिंह, एयरोनॉटिकल ऑफिसर, डीजीसीए

5. एएआई

1. श्री एस चड्ढा, कार्यपालक निदेशक (ईडी-एटीएम)
2. श्री राजीव मेहता, महाप्रबंधक, (जीएम), एटीएस
3. श्री एस धर्मराज,महाप्रबंधक (एएस)
4. श्री डी दिलीप कुमार, संयुक्त महाप्रबंधक, एएसएम

5. श्री शीबू रॉबर्ट, संयुक्त महाप्रबंधक , एटीएम
6. श्री विकास भल्ला, संयुक्त महाप्रबंधक, एएसएम
7. श्री रवि सिंधु, सहायक प्रबंधक (एटीएम), एएआई
8. श्री जोवेन वर्गीश, उप महाप्रबंधक (अनुभाग)

6. सीआईएसएफ

(1) श्री राजीव सहाय, आईजी, सीआईएसएफ
(2) श्री अजय कुमार, डीआईजी/एयरपोर्ट सेक्टर, सीआईएसएफ
(3) श्री श्रीकांत किशोर, डीआईजी, सीआईएसएफ

7. पवन हंस लिमिटेड

(1) डॉ. बी.पी. शर्मा, सीएमडी
(2) एअर कमांडर टी ए दयासागर, ईडी (ओएम एण्ड टेक)
(3) कैप्टन आर.के.सिंह, एजीएम (प्रचालन)

8. दिल्ली पुलिस

(1) सुनील कुमार सिंह, एसीपी/आईजीआईए

(ख) गैर-अधिकारीगण

1. प्रोफेसर जी.एम.कामत, आईआईटी, कानपुर

(ग) इजरायल राजदूत की सुरक्षा अनुभाग

1. राशेल रशेली मुला, ड्युपटी डिफेंस अटैच फार एचएलएस

<u>एजेंसियां</u>

क) एम2के टेक्नॉलाजी प्राइवेट लिमिटेड (श्री दीपक सिंहल, अध्यक्ष और श्री अनूप कुमार, मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट)
ख) 35 सेंसर्स एण्ड सिस्टमस टेक्नॉलाजी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (डब्लू जी कैडर.अथमरम (सेवानिवृत्त), सीएमडी और श्री संदीप लॉहोटी, वीपी (बिजनेस डेवलपमेंट)
ग) आइडियाफोर्ज टेक्नॉलाजी प्राइवेट लिमिटेड (जीप कैप्टन (रिटायर्ड) आर मोहन)
घ) टीआईपीएल-सेंसबर्ड (श्री मृगांक सिंह, सीइओ)
ङ) थॉलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (श्री प्रशांत कौल, नेशनल सेलस मैनेजर)
च) आरएएफएईएल इंडिया (श्री युवाल बेइस्की, श्री नूम शल्ट्ज, कॉल मनीश सरीन (रिटायर्ड))
छ) आईएआई (मिस्अर ओफिर कोहन-संयुक्त निदेशक, विटाली काकूईविसकी-रिजीनल मॉर्केटिंग डायरेक्टर और यूरीहेम-प्रोग्राम मैनेजर)
ज) डॉनफेंस (श्री पंकज श्रीवास्तव, नेशनल सेल्स मैनेजर)
झ) जनरल एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (श्री रौनक सेठी और श्री सुखजीत)

परिशिष्ट II

एंटी-ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन

रोहिणी हेलिपोर्ट - मार्च, 2018

(कंपनी/एजेंसी के लेटर हेड पर दिया जाना है)

1. विक्रेता का विवरण

ईमेल पता और संपर्क हेतु टेलीफोन नंबरों के साथ प्रदर्शन में भाग लेने वाली कंपनी/ विक्रेता का नाम		**डेमो टीम का विवरण**	**नाम**	**राष्ट्रीयता**	**आईडी सं:** (यदि विदेशी नागरिक हैं तो पासपोर्ट संख्या प्रदान करें और वैध वीजा और पासपोर्ट की प्रति संलग्न करें।)	**मोबाइल सं :**	**ईमेल पता**

2. नियोजित ड्रोन का विवरण (उपकरण की विवरण पुस्तिका संलग्न करें, यदि उपलब्ध हो)

प्रदर्शन के दौरान उड़ान भरने वाले ड्रोनो का प्रकार, संख्या और तकनीकी विनिर्देश	**ड्रोन का प्रकार**	**प्रदर्शन हेतु प्रयुक्त ड्रोनो की संख्या**	**प्रयुक्त रेडियो आवृति (सी2 और वीडियो)**	**ड्रोन का वज़न (भार सहित)**	**प्रयुक्त ईंधन और अधिकतम सहनशक्ति (एचएचएमएम)**	**विमान का प्रकार (रिमोट चालित या स्वायत्त)**	**उड़ान की अधिकतम ऊँचाई (फीट)**	**अधिकतम सामान्य गति (केएमपीएच)**	**भू-घेराबंदी क्षमता (हाँ/ नहीं)**	**ठिकाने पर वापस आने (आरएच) की क्षमता (हाँ/ नहीं)**	**प्रयुक्त स्थापन्न पद्धति (जीपीएस/ जीएलओएनएएसएस/ आईएनएस)**

3. प्रयुक्त एंटी-ड्रोन तकनीक का विवरण

प्रदर्शन का स्तर		तकनीक	कार्य पद्धति	मनुष्य द्वारा चलाए जाने वाले विमान प्रचालनों पर समपार्श्विक प्रभाव	अन्य रेडियो उपकरण यथा मोबाइल फोन पर समपार्श्विक प्रभाव	अन्य कोई प्रत्याशित समपार्श्विक प्रभाव
अनुसंधान	1					
	2					
	3					
अभिज्ञान	1					
	2					
	3					
निराकरण	1					
	2					
	3					

4. प्रदर्शन योजना

प्रदर्शन की संक्षिप्त योजना	हवाईक्षेत्र अपेक्षाएँ	हवाईक्षेत्र के उपयोग की अवधि (लक्षित ड्रोन का कुल विमानस्थ समय)	लक्षित ड्रोन की उड़ान रूपरेखा	अपेक्षित तार्किक माँग और प्रचालनिक अनुमोदन	प्रदर्शन का अपेक्षित परिणाम
	रोहिणी हेलीपैड से ट्रैक _____और _____ डिग्री, जीएनडी से _____ फीट के मध्य।				

5. मंत्रालयों/ भारत सरकार के विभागों और अन्य सरकारी एजेंसियों से अपेक्षित क्लियरेंस का विवरण:

क्रम संख्या	अपेक्षित क्लियरेंस की प्रकृति	मंत्रालय/ विभाग/ सरकारी एजेंसी जहां से क्लियरेंस अपेक्षित है	क्लियरेंस हेतु कंपनी/ एजेंसी द्वारा जमा कराए गए दस्तावेज़

नोट: उपर्युक्त लाइव प्रदर्शन के लिए रोहिणी हेलिपोर्ट पर प्रवेश हेतु एईपी प्राप्त करने के उद्देशय से यथोचित भरा हुआ एईपी आवेदन फॉर्म इस मंत्रालय के पास जमा कराया जा सकता है।

6. वचनबद्धता :

कंपनी ने प्रमाणित किया है कि :-

क) कंपनी, प्रदर्शन या इससे संबन्धित गतिविधियों में शामिल कार्मिकों की पूर्ण ज़िम्मेदारी लेती है चाहे वे कंपनी के कर्मचारी हो या न हो।

ख) उपर्युक्त दिया गया विवरण सही एवं सत्य है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी यह प्रतिबद्धता भी देती है कि कंपनी द्वारा आयोजित प्रदर्शन के कारण हेलिपोर्ट और इसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ड्रोनो/यूएवी का निराकरण हेलिपोर्ट परिसर में ही पीएचएल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्थान पर किया जाएगा। यदि प्रदर्शन के कारण किसी अवसंरचना/ परिसंपत्ति और मानव को कोई क्षति पहुँचती है, तो कंपनी उसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेगी और उसके लिए मुआवज़े का भुगतान करेगी। यह प्रदर्शन भारत सरकार की किसी भी लागत के बिना और किसी भी तरह की प्रतिबद्धता के बिना आयोजित किया जा रहा है और कंपनी द्वारा स्वयं ही सम्पूर्ण लागत एवं जोखिम का वहन किया जाएगा। किसी भी तरह का कोई दावा भारत सरकार या इसके किसी भी संगठन/ भाविप्रा / पीएचएल / डीजीसीए/ बीसीएएस के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। कंपनी यह भी समझती है कि केवल आवेदन जमा कराने से प्रदर्शन आयोजित करने का हकदार या कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जो कि भागीदारी के स्तर, व्यवहार्यता, लॉजिस्टिक्स एवं अन्य कारकों पर निर्भर करता है। सरकार के पास स्वेच्छा से प्रदर्शन आयोजित न करने का अधिकार आरक्षित है।

विक्रेता/ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:

1) **प्रदर्शन देने वाले दल के सदस्यों के आईडी प्रमाण के दस्तावेज़**
2) **प्रदर्शन देने वाले दल के सदस्यों के पासपोर्ट और वीजा की प्रति (विदेशी नागरिक)**